

अति-आवश्यक

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23 (09) लेखा/निकाशि/छात्रवृत्ति/2012-13/2235

दिनांक: 27/12/12

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,

विषय :- देवनारायण स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना में स्कूटी वितरण के व्यय पुर्नभरण के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को 2011-12 में स्वीकृत एवं वितरित स्कूटी पेटे रजिस्ट्रेशन/स्थानान्तरण शुल्क एवं बीमा राशि पर कितना व्यय किया गया है । कृपया निम्नांकित निर्धारित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध करावें जिससे आप द्वारा व्यय की गई राशि का पुर्नभरण किया जा सकें ।

कस	छात्रा/ पिता का नाम	रजिस्ट्रेशन संख्या	बीमा पॉलिसी संख्या	व्यय की गई राशि			योग
				रजि0 शुल्क	बीमा शुल्क	स्थानान्तरण शुल्क	

उपरोक्त सूचना संयुक्त निदेशक (आयोजना) के मेल आई jdplan.cce.rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से दिनांक 7-1-2013 तक उपलब्ध करावें जिससे समय पर भुगतान किया जा सकें । यदि आप द्वारा उक्त सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी ।

(डॉ. सी. एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23 (09) लेखा/निकाशि/छात्रवृत्ति/2012-13/2235

दिनांक: 27/12/12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

✓ श्री धीरेन्द्र देवर्षि, प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु ।

(डॉ. सी. एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर